

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/STA-(विविध)-30/2016 8906

पटना, दिनांक- 3/12/19

निबंधित/
ई-मेल

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।

विषय :- मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के आलोक में मार्ग अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-8131, दिनांक-06.11.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि उक्त पत्र द्वारा वैसे गैरअधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु अनुशंसा भेजने का अनुरोध किया गया था, जिस पर आपके प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गत है, यदि मार्ग परिचालन योग्य हो। साथ ही भविष्य में परिचालन योग्य मार्गों/अतिरिक्त मार्गों की सूची भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

कतिपय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अधिसूचना हेतु मार्गों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। किन्तु मार्गों की दूरी इस सूची में अंकित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि अधिसूचना हेतु भेजे गये मार्गों की सूची में मार्ग की दूरी अंकित करते हुए पुनः भेजी जाय।

उक्त अनुशंसा, पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (सीडी) सहित) में आवश्यक तौर पर भेजी जाय।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दे।

विश्वासभाजन,

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 3/12/19

ज्ञापांक- 8906

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-04/STA-(विविध)-30/2016 8906

पटना, दिनांक- 3/12/19

निबंधित/
ई-मेल

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।

विषय :- मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के आलोक में मार्ग अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-8131, दिनांक-06.11.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि उक्त पत्र द्वारा वैसे गैरअधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु अनुशंसा भेजने का अनुरोध किया गया था, जिस पर आपके प्राधिकार द्वारा परमिट निर्गत है, यदि मार्ग परिचालन योग्य हो। साथ ही भविष्य में परिचालन योग्य मार्गों/अतिरिक्त मार्गों की सूची भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

कतिपय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अधिसूचना हेतु मार्गों की सूची उपलब्ध करायी गयी है। किन्तु मार्गों की दूरी इस सूची में अंकित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि अधिसूचना हेतु भेजे गये मार्गों की सूची में मार्ग की दूरी अंकित करते हुए पुनः भेजी जाय।

उक्त अनुशंसा, पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (सीडी सहित) में आवश्यक तौर पर भेजी जाय।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता दे।

विश्वासभाजन,
उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।